Lecture - 130.

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

— Mamta Rani
Guest Assistant Professor.
Deptt. of History
SNSRKS College, Saharsa.
B.A. Part - 3rd
General Studies.

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

वस्तु एवं सेवा कर (G.S.T.)

अर्थ	लाभ	बाधा
वस्तु एवं सेवा कर को नए रूप से परिभाषित करते हुए लागु करना / सर्वप्रथम 2003 में लागु करने की योजना 13 वे वित्त आयोग ने भी सिफारिश किया था जैसे - उत्पादन शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर	* बार-बार कर देने से मुक्ति * संस्था/व्यक्ति को परेशानी से मुक्ति * एक मुक्त कर की प्राप्ति * वित्त संबंधी समस्याए सहयोग	* सभी राज्य इसके लिए सहमत नही * संसद के साथ-साथ राज्य विधान सभाओ में बिल पारित कराना। * समय से पूर्ण लागु होने की संभावना नही।

निष्कर्ष :- इसके लागु होने से निश्चित रूप से राजस्व में बढ़ोतरी होगी और इससे रूप में विकास की भावना आयेगी इसलिए सभी दलगत भावना और स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर सबको मिलकर इसका समर्थन करना चाहिए।

भारत की वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत G.S.T बिल महत्वपूर्ण होते हुए भी विवाद का कारण बना हुआ है। वर्तमान की N.D.A सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए और राजस्व को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इस बिल को लागु करने के प्रयास में है लेकिन अभी तक सफल नही हुआ। वस्तु एवं सेवा कर को और अधिक सरल बनाने की परिकल्पना के साथ ही अपना राजस्व को बढ़ाने के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम इसे वर्ष 2003 में प्रारंभिक प्रयास किया गया था और तत्कालिक 13 वे वित्त आयोग ने भी इसे लागु करने की अनुशंसा किया था। लेकिन जानकारी के अनुसार केन्द्रिय स्तर पर मुख्य रूप से उत्पाद शुल्क और सेवा कर तथा राज्य स्तर पर बिक्री तथा मनोरंजन कर को इसमें अन्तर्निहित परिभाषित किया गया है।

तत्कालिक सरकार का यह तर्क है कि इस विधेयक को लागु होने से किसी भी प्रकार की परेशानी

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

को बजाय उत्पाद लागत को अधिक दिखाकर पकड़ाते हैं। क्योंकि

इस विधेयक को वास्तविक रूप में आने से सभी व्यापार कर देने से मुक्ति प्राप्त होगा। क्योंकि एक बार भुगतान एवं प्रवेश कर देने का प्रावधान भी इसमें किया गया है।

यह विधेयक इस रूप में भी अच्छा माना जा रहा है कि व्यक्ति विशेष या किसी भी संस्था को कर से संबंधित परेशानियों से निजात दिलाने में यह विधेयक निश्चित रूप से सहायक होगा। व्यापारियों को अधिक जानकारी नहीं होने पर इस विधेयक के द्वारा इन परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगा।

सरकार द्वारा इस विधेयक पूर्ण रूप से लागू होने से एक मुश्त कर की राशि राजस्व के रूप में सरकार को प्राप्त होगी जो निश्चित रूप से जन कल्याण एवं विकास से संबंधित कार्यों के रूप में आम जनता के पास वापस आएगा।

वित्त संबंधी में महत्वपूर्ण अनुच्छेद के साथ-2 का भी बहुत हद तक समाधान होगा। ऐसा इस विधेयक के माध्यम से अनुमान लगाया गया है लेकिन इसमें लाभ के साथ-साथ इस विधेयक को लागू करने में कई प्रकार की समस्याएं हैं जैसे —

(i) सभी राज्य इसके लिए सहमत नहीं।
(ii) संसद के साथ-2 राज्य विधान सभाओं से बिल पारित करना।
(iii) समय से पूर्ण पारित होने की सम्भावना नहीं।

निष्कर्ष — पढ़ने वाला ही लिखें।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz